न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120/2022

महेश आयु 41 वर्ष पुत्र रामजीलाल, जाति जाट, निवासी नरहड, तहसील, चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

––आवेदक

बनाम

1. मोहर सिह आयु 61 वर्ष
2. सतवीर आयु 51 वर्ष
3. दलीप आयु 46 वर्ष
4. मनीराम आयु 44 वर्ष
   पिसरान तिरखाराम, जाति जाट, निवासी नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
5. रामसिंह आयु 61 वर्ष
6. प्यारेलाल आयु 56 वर्ष
7. राजेन्द्र आयु 51 वर्ष
8. छोटेलाल आयु 44 वर्ष
   पिसरान मोहनलाल, जाति जाट, निवासी नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
9. श्रीमती शांति आयु 81 वर्ष स्त्री मोहनलाल, जाति जाट, निवासी नरहड, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
10. मु0 कृष्णा आयु 54 वर्ष पुत्री मोहनलाल स्त्री रोहिताश, जाति जाट, निवासी किठाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
11. सुरेश आयु 41 वर्ष
12. कालू उर्फ प्रदीप आयु 39 वर्ष
    पिसरान दयानन्द, जाति जाट, निवासी नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
13. श्रीमती धर्मा आयु 71 वर्ष स्त्री दयानन्द, जाति जाट, निवासी नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
14. लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, चिडावा जिला झुंझुनूं।
15. उपखण्ड अधिकरी चिड़ावा जिला झुंझुनूं।

––– अनावेदक

– – –

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0टी0 एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम भल्ले सिहं वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 75/2020 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा तारीख पेशी दिनांक 13.04.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:49 IST
Reason: SelfAttested

– – –

उपस्थितः–

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक– आवेदक उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अप्रार्थी सं0 14 व 15 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.08.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी व अन्य की ओर से शामलाती खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 784 तादादी 0.56 हैक्टर वगैरह के बाबत अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसमें मूल विवाद प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह का नाम उक्त खातेदारी की जमीन मे गलत दर्ज होने का रहा। दावा के लम्बित रहने के दौरान प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह की मृत्यु होने की जानकारी हुई। विवादित जमीन ग्राम नरहड की सीमा में स्थित है तथा मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह अपनी 5–7 साल की अल्प आयु से ग्राम रेजडी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में अपने एक अन्य भाई के साथ चला गया था तब से करीब 70 सालों से ग्राम रेजडी में रह रहा था तथा विवादित जमीन से मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह का कभी कोई सम्बन्ध नही रहा व न कब्जा रहा। मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह ने पूर्व में अपने भाई फूलाराम उर्फ हरफूल तथा उसके लडकों के बहकावे में आकर प्रार्थी व अन्य लोगो के विरूद्ध विवादित जमीन में अपना हक हिस्सा होना बतलाते हुये दावा कर दिया जो उसके जीवनकाल में ही खारीज हो गया। उक्त अनुसार मृतक प्रतिवादी नं0 1 का दावा खारीज होने के बाद प्रार्थी बनवारीलाल वगैरह ने उक्त अनुसार अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जिसमें मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह उक्त अनुसार पक्षकार प्रतिवादी था। दावा के दौरान प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई उक्त फूलाराम उर्फ हरफूल के लड़के सतपाल ने प्रस्तुत दावा में पंक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिसकी नकल प्रार्थी/वादीगण को दी गई। उक्त सतपाल ने अपने प्रार्थन पत्र में अपने आपको मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह का गोद का पुत्र होना बतलाते हुये उसका वारिस होना बताया। प्रार्थी/वादी की ओर से उक्त सतपाल के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये स्पष्ट किया कि मृतक भल्ले सिह ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने दावा में अथवा प्रार्थी व अन्य की ओर से प्रस्तुत किये गये दावा में कभी भी इस बात का उल्लेख नही किया कि उसने उक्त सतपाल को कभी अपना गोद का पुत्र होना बताया हो तथा न मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह ने कभी उक्त सतपाल के हक में गोदनामा होने को कोई उल्लेख किया। यह भी स्पष्ट किया कि उक्त सतपाल के शैक्षणीय रिकार्ड व फौज में प्रस्तुत किये गये समस्त रिकॉर्ड में उक्त सतपाल के पिता का नाम फूलाराम उर्फ हरफूल का ही नाम दर्ज है, जबकि उक्त सतपाल बचपन से ही मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह के गोद जाना बताया है। उक्त सतपाल प्रस्तुत दावा में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार नही है तथा अनावश्यक रूप से ही दावा में उक्त अनुसार प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है जिसका कोई अधिकार उक्त सतपाल को नही है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली न्यायालय की भांति ईमानदार नही है तथा प्रत्येक मुकदमा में हितबद्ध पक्षकार से मिलकर उस पक्षकार के मनवांछित विधि विरूद्ध आदेश/निर्णय पारित करने का उभयासरत रहा है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के उक्त नाजायज आचरण से परेशान होकर उक्त अदालत के अधीन चल रहे विभिन्न प्रकरणों पीठासीन अधिकारी के आचरण के विरूद्ध प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो विचाराधीन चल रहे है। प्रस्तुत प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 08.04.2022 को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय नही मिलने के बाबत तथ्यों को उजागर करते हुये एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा अदालत से यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी/वादीगण को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की आशा नही है तथा इसी कारण दावा को प्रार्थी/वादीगण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण करवाने के लिए कार्यवाही करेगें जिसके लिए एक माह की अवधि का समय दिये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातहत ने अपने निजी लालच में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:49 IST
Reason: SelfAttested

सतपाल के हक में आदेश करने के उद्देश्य से प्रकरण को स्थानान्तरण करवाने हेतु समय नही दिया तथा उक्त सतपाल के अधिवक्ता को तुरन्त प्रार्थी/वादीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने को कहा। इस पर उक्त सतपाल के अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में तारीख पेशी न देकर बहस सुनी लिखकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दे दी, जबकि प्रार्थी/वादीगण की ओर से दिनांक 08.04.2022 को या अन्य कभी भी किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नही की गई। इससे यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने जानबुझकर झूठी आदेशिका ड्रॉ की तथा बहस सुनी जाना लिखते हुये उक्त अनुसार आदेश हेतु 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कण्डक्ट से भी पीठासीन अधिकारी महोदय का लालचवश अपना पक्षकारान के प्रति पक्षपात पूर्ण लालची रवईया साबित होता है। उक्त अनुसार यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में पूर्ण आंशका ही नही अपितु अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी कानून के विरूद्ध जाकर भी प्रार्थी/वादीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर सकते हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादीगण के दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के सलंग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 117/2020 को अदालत मातहत से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम भल्लेसिह वगैरह दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के संलग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 117/2020 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर बाद सुनवाई उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकुल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक 349 दिनांक 26.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है शेष प्रश्न का जबाब मैरीट पर तय होगा। बिन्दू सं0 2 मे वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र के मैरीट पर तय होगा। बिन्दू सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 4 वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है, शेष प्रश्न मे प्रार्थी के वकील द्वारा न्यायालय मे गलत व्यवहार करना व अपनी सभी पत्रावली मे किसी प्रकार की बहस नही करना व जबाब नही देना जिससे पत्रावली मे आगामी कार्यवाही करनी होती है अन्यथा अप्रार्थीगण को न्यायालय से न्याय नही मिल पाता है और प्रकरण मे कार्यवही लम्बित रहती है जो प्रार्थी के वकील करना चाहते है। बिन्दू सं0 5 वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है शेष प्रश्न मे अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 6 व 7 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी [illegible] 2013(1) RJ 280 की नजरे पेश कर दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को [illegible] किया कि प्रार्थी व अन्य की ओर से शामलाती खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर [illegible] तादादी 0.56 [illegible] वगैरह के बाबत अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसमें मूल विवाद [illegible] उक्त खातेदारी की जमीन मे गलत दर्ज होने का रहा। दावा के लम्बित रहने के दौरान [illegible] वादी नं0 1 भल्लेसिह की मृत्यु होने की जानकारी हुई। विवादित जमीन ग्राम नरहड की सीमा में स्थित है तथा मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह अपनी 5–7 साल की अल्प आयु से ग्राम रेजडी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में अपने एक अन्य भाई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

साथ चला गया था तब से करीब 70 सालों से ग्राम रेजडी में रह रहा था तथा विवादित जमीन से मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्लेसिह का कभी कोई सम्बन्ध नही रहा व न कब्जा रहा। मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह ने पूर्व में अपने भाई फूलाराम उर्फ हरफूल तथा उसके लडकों के बहकावे में आकर प्रार्थी व अन्य लोगो के विरूद्ध विवादित जमीन में अपना हक हिस्सा होना बतलाते हुये दावा कर दिया जो उसके जीवनकाल में ही खारीज हो गया। उक्त अनुसार मृतक प्रतिवादी नं0 1 का दावा खारीज होने के बाद प्रार्थी बनवारीलाल वगैरह ने उक्त अनुसार अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जिसमें मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह उक्त अनुसार पक्षकार प्रतिवादी था। दावा के दौरान प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके भाई उक्त फूलाराम उर्फ हरफूल के लड़के सतपाल ने प्रस्तुत दावा में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। जिसकी नकल प्रार्थी/वादीगण को दी गई। उक्त सतपाल ने अपने प्रार्थन पत्र में अपने आपको मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह का गोद का पुत्र होना बतलाते हुये उसका वारिस होना बताया। प्रार्थी/वादी की ओर से उक्त सतपाल के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुये स्पष्ट किया कि मृतक भल्ले सिह ने अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये अपने दावा में अथवा प्रार्थी व अन्य की ओर से प्रस्तुत किये गये दावा में कभी भी इस बात का उल्लेख नही किया कि उसने उक्त सतपाल को कभी अपना गोद का पुत्र होना बताया हो तथा न मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह ने कभी उक्त सतपाल के हक में गोदनामा होने को कोई उल्लेख किया। यह भी स्पष्ट किया कि उक्त सतपाल के शैक्षणीय रिकार्ड व फौज में प्रस्तुत किये गये समस्त रिकॉर्ड में उक्त सतपाल के पिता का नाम फूलाराम उर्फ हरफूल का ही नाम दर्ज है, जबकि उक्त सतपाल बचपन से ही मृतक प्रतिवादी नं0 1 भल्ले सिह के गोद जाना बताया है। उक्त सतपाल प्रस्तुत दावा में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार नही है तथा अनावश्यक रूप से ही दावा में उक्त अनुसार प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है जिसका कोई अधिकार उक्त सतपाल को नही है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली न्यायालय की भांति ईमानदार नही है तथा प्रत्येक मुकदमा में हितबद्ध पक्षकार से मिलकर उस पक्षकार के मनवांछित विधि विरूद्ध आदेश/निर्णय पारित करने का उभयासरत रहा है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के उक्त नाजायज आचरण से परेशान होकर उक्त अदालत के अधीन चल रहे विभिन्न प्रकरणों पीठासीन अधिकारी के आचरण के विरूद्ध प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है जो विचाराधीन चल रहे है। प्रस्तुत प्रकरण में तारीख पेशी दिनाक 08.04.2022 को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय नही मिलने के बाबत तथ्य को उजागर करते हुये एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा अदालत से यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी/वादीगण को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की आशा नही है तथा इसी कारण दावा को प्रार्थी/वादीगण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण करवाने के लिए कार्यवाही करेगें जिसके लिए एक माह की अवधि का समय दिये जाने का निवेदन किया परन्तु अदालत मातहत ने अपने निजी लालच में उक्त सतपाल के हक में आदेश करने के उद्दे[illegible] करवाने हेतु समय नही दिया तथा उक्त सतपाल के अधिवक्ता को तुरन्त प्रार्थी/वादीगण [illegible] त्र का जवाब प्रस्तुत करने को कहा। इस पर उक्त सतपाल के अधिवक्ता ने [illegible] किया। उसके बाद भी अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी [illegible] देकर बहस सुनी लिखकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.04.2022 दे दी, [illegible] की ओर से दिनांक 08.04.2022 को या अन्य कभी भी किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई बहस नही की गई। इससे यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने जानबुझकर झूठी आदेशिका ड्रॉ की तथा बहस सुनी जाना लिखते हुये उक्त अनुसार आदेश हेतु 13.04.2022 दी। अदालत मातहत के उक्त कण्डक्ट से भी पीठासीन अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

का लालचवश अपना पक्षकारान के प्रति पक्षपात पूर्ण लालची रवईया साबित होता है। उक्त अनुसार यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में पूर्ण आंशका ही नही अपितु अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी कानून के विरूद्ध जाकर भी प्रार्थी/वादीगण के विरूद्ध आदेश पारित कर सकते हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादीगण के दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के सलंग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 117/2020 को अदालत मातहत से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम भल्लेसिह वगैरह दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के संलग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 117/2020 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर बाद सुनवाई उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनुकुल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 13 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

अप्रार्थी सं0 14 व 15 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। फिर भी आवेदक यदि उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो, इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम भल्लेसिह वगैरह दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के संलग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 117/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा उनवानी बनवारीलाल वगैरह बनाम भल्लेसिह वगैरह दावा नम्बर 75/2020 तथा दावा के संलग्न उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 117/2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के न्यायालय में दिनांक 12.09.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.22 17:37:49 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं